संख्या– / XVIII(1)/2018-01(30)/2016-TC

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुघ,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 **देहरादून दिनांक 04 जनवरी, 2018**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 की अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2029, 2052, 2053 एवं 2506 के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5455/8–1/2017–18, दिनांक–18 दिसम्बर, 2017 के क्रम में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक–30 जून, 2017 एवं शासनादेश संख्या–1362/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक–27 दिसम्बर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रथम अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से अनुदान संख्या–06 के अधीन संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षक–2029, 2052, 2053 एवं 2506 की मानक मद–01, 03 व 06 में प्राविधानित धनराशि रू0 117700 हजार (रूपये ग्यारह करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) को आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार आहरण/व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012, दिनांक–28 मार्च, 2012 तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अधीन सॉफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर प्राप्त करने पर ही धनराशि का आहरण एवं व्यय की जाय।
2. मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वर्ष के प्रारम्भ से ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाय और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधनित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर, बचत सुनिश्चित की जाय।
3. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहां कोई आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फाट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नही की जायेगी और न ही व्ययभार सृजित किया जायेगा।
4. बजट नियंत्रण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक किश्तों में वास्तविक व्यय, आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्ययक से सम्बन्धित नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में व्यय की प्रतिमाह दिनांक 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
7. धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल,वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा मानक मद–01–वेतन, 03–महंगाई भत्ता, 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।
8. राजस्व मद से पूंजी मद में, इसी प्रकार पूंजी मद से राजस्व मद में पुनर्विनियोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
9. केन्द्रपोषित योजनाओं में केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किया जाय। केन्द्रांश की प्रत्याशा में धनराशि किसी भी स्थिति में निर्गत नहीं की जायेगी तथा केन्द्र पोषित योजनाओं से किसी अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

–2–

10. वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में व्यय की अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय अथवा विचलन दृष्टिगोचर हो तो तत्काल संज्ञान में लाया जाय।
11. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।
12. बजट नियंत्रण अधिकारी/विभागाध्यक्ष बी0एम0–10 प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जाय।
13. इस संबंध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिसके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में प्रचलित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की धनराशिया जारी की जाय अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नही किया जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
14. किसी योजना में धनराशि पी0एल0ए0 में जमा की गयी हो तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय किया जाय तदोपरान्त ही योजनान्तर्गत लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जाय।
15. प्रत्येक निर्माणाधीन कार्यो के संबंध मे वित्त विभाग की शासनादेश संख्या–475/XXVII(1)/2008 दिनांक–15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था राजकीय विभाग भी हो, तो भी समय–सारणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराने के दृष्टि से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 किया जाय।
16. चालू निर्माण कार्यो की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की समीक्षा/परीक्षण सुनिश्चित किया जाय।
17. अप्रत्याशित व्यय के दृष्टिगत ही अग्रिम धन हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से प्रस्ताव किया जाय।
18. मानक मद के अन्तर्गत प्रतीक (Tokan) के रूप में रखी गयी धनराशि का आहरण एवं व्यय कदापि नहीं किया जायेगा।

02. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–06 के मुख्य लेखाशीर्षक–2029 व लेखाशीर्षक–2052 एवं लेखाशीर्षक–2053 तथा लेखाशीर्षक–2506 के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित लेखाशीर्षक की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

03. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1362/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक–27 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रदत्त प्राधिकार/दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्या– 370/XVIII(1)/2018-01(30)/2016-TC, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय मोटरर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), वैभव पैलेस, इन्द्रा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी/साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्दन सिंह रावत)
उप सचिव।